न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई (प्रथम लिंक अधिकारी), आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./338/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. रमेशनाथ पुत्र मिश्रीनाथ, जाति स्वामी, उम्र 48 वर्ष 2. गोरखनाथ पुत्र मिश्रीनाथ, जाति स्वामी, उम्र 44 वर्ष 3. सुन्दर देवी पत्नी मिश्रीनाथ, जाति स्वामी, उम्र 64 वर्ष 4. भंवरनाथ पुत्र जीतनाथ, जाति स्वामी, उम्र 68 वर्ष 5. हीरनाथ पुत्र जीतनाथ, जाति स्वामी, उम्र 56 वर्ष निवासीगण समदड़ी स्टेशन, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।	1. जोगसिंह पुत्र नरसिंग, जाति राजपुरोहित, निवासी समदड़ी स्टेशन। 2. पुखराज पुत्र हीराजी जाति राजपुरोहित के वारिशान– 2/1. जमना बेवा पुखराज जाति राजपुरोहित (फौत डिलीट) 2/2.गंगा पुत्री पुखराज पत्नी हेमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी सहनाई, तहसील लुणी हाल समदड़ी स्टेशन। 2/3. देवी पुत्री पुखराज पत्नी जवरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी सहनाई तहसील लुणी 3. लाखाराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी बायतु। 4. खरताराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी बायतु 5. अणदु बेवा गंगाराम जाति जाट, निवासी बायतु, तहसील बायतु, जिला बालोतरा हाला बाड़मेर। 6. रामकिशन पुत्र टिकमचंद, जाति कुम्हार, निवासी सरदारपुरा सी रोड, जोधपुर। 7. जगदीश कुमार पुत्र टिकमंचद, जाति कुम्हार, निवासी सरदारपुरा सी रोड, जोधपुर। 8. सायरीदेवी बेबा टिकमंचद, जाति कुम्हार, निवासी सरदारपुरा सी रोड, जोधपुर। 9. हेमसिंह पुत्र सोनाजी, जाति राजपुरोहित, निवासी सनई, तहसील लूणी। 10. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक, तहसीलदार समदडी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2018 बउनवान जोगसिंह बनाम लाखाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कपील श्रीमाली रेस्पों. संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

—:निर्णय:—

दिनांक:—23.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी मौजा समदड़ी स्टेशन, तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 639/192 व 640/192 रकबा क्रमशः 3.17 व 0.02 बिघा का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग—अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा—काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते है, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी मौजा समदड़ी स्टेशन, तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 639/192 व 640/192 रकबा क्रमशः 3.17 व 0.02 बिघा का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग—अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा—काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते है जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर वाद तामील अपीलांट द्वारा वकील नियुक्त किया गया था। जिसके द्वारा समुचित रूप से पैरवी नहीं की गई। ना ही अपीलांट के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब दावा पेश किया गया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब व साक्ष्य के अवसर बंद कर दिया गया। साक्ष्य व जबाव बंद करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। किसी अधिवक्ता के गलती की सजा पक्षकारान को नहीं दी जा सकती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को वकील की सजा प्रदान की गई है। वकील की गलती की वजह से अपीलांट को अपने हक के न्याय के लिए महरूम होना पड़ा है। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी (रेस्पोडेन्ट) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुऐ तथा बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से तामील मानते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी मौजा समदड़ी स्टेशन, तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 639/192 व 640/192 रकबा क्रमशः 3.17 व 0.02 बिघा का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करवाना चाहते है, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स (वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट्स को सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी जरिये वकालतनामा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पेश करने के बाद पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया और ना ही वकील उपस्थित आया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट की ओर से जबावदेही का अवसर बंद किये जाने के कारण अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी जबाव प्रस्तुत नहीं करने के बाद न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट्स/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये वकालतनामा के उपस्थित हुआ है। उसके बाद वकील को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद अवसर बंद किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संबंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। अपीलांट को छोड़कर समस्त वादी एवं प्रतिवादी अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री से संतुष्ट हैं। पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद जाहिर नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2018 बउनवान जोगसिंह बनाम लाखाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

13.10.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम लिपिक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर